दैनिक भास्कर
जोधपुर, बुधवार
2 फरवरी 2011
3

नाथद्वारा विधायक की गवाही शुरू

जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अप्रार्थी नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह की गवाही शुरू हुई। न्यायाधीश प्रकाश टाटिया की अदालत में अप्रार्थी के अधिवक्ता लेखराज मेहता ने उनका परीक्षण किया। कल्याण सिंह ने परीक्षण के दौरान कहा कि उनकी पत्नी कल्पना कंवर के नाम से ही जानी जाती है, न कि कल्पना सिंह के नाम से। उन्होंने इसके समर्थन में 'पैन' कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, वाहन पंजीकरण आदि के मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए। मेहता के साथ अधिवक्ता विजय विश्नोई तथा रमित मेहता ने भी सहयोग किया। प्रार्थी की ओर से एमएस सिंघवी तथा अरुण भंसाली ने उपस्थिति दी। गवाही बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रार्थी जोशी के अधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी उनसे जिरह करेंगे।

दैनिक भास्कर
जोधपुर, गुरुवार
3 फरवरी 2011
4

विधायक कल्याणसिंह से जिरह अधूरी रही

जोधपुर| केंद्रीय मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीपी जोशी की चुनावी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश प्रकाश टाटिया की अदालत में दूसरे दिन बुधवार को नाथद्वारा विधायक कल्याणसिंह से जिरह अधूरी रह गई। अब जिरह 17 फरवरी को होगी। न्यायालय में अप्रार्थी नाथद्वारा विधायक कल्याणसिंह से प्रार्थी जोशी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्रसिह सिंह सिंघवी ने जिरह करते हुए स्वयं विधायक व उनकी पत्नी द्वारा किए गए मतदान से संबंधित प्रश्न पूछे। विधायक सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पत्नी कल्पना कंवर ने बूथ संख्या 40 पर मतदान किया था, लेकिन वहां पर मौजूद रजिस्टर में किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं है। जिरह के दौरान विधायक से मतदाता सूची में उनके दो जगह नाम होने से संबंधित सवाल भी किए गए। करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली जिरह बुधवार को अधूरी रही। अब यह जिरह 17 फरवरी को पुनः होगी। प्रार्थी पक्ष की ओर से सिंघवी के अलावा अधिवक्ता अरुण भंसाली ने तथा अप्रार्थी कल्याणसिंह की ओर से अधिवक्ता लेखराज मेहता, विजय विश्नोई तथा रमित मेहता मौजूद थे।

दैनिक भास्कर
जोधपुर, बुधवार, 4 मई 2011
7

तीन की बजाय एक गवाह पहुंचा, उसकी भी गवाही नहीं हुई

सीपी जोशी की चुनावी याचिका का मामला

भास्कर न्यूज| जोधपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीपी जोशी के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से एक वोट से हारने के मामले में उनकी ओर से दायर चुनाव याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की की अदालत में सुनवाई के दौरान अप्रार्थी नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह चौहान की ओर से निर्धारित तीन के बजाय एक गवाह ही पहुंचा। चौहान के वकीलों ने उसकी भी गवाही नहीं करवाई। पिछली सुनवाई के दौरान इन तीन गवाहों को बुलाने के लिए दुबारा सम्मन जारी करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद तीन में से सिर्फ एक नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के रेलमगरा स्थित मतदान केंद्र संख्या 180 के मतदाता तोलाराम ही अदालत में पेश हुए।

अप्रार्थी चौहान के अधिवक्ता लेखराज मेहता व विजय विश्नोई के साथ रमित मेहता ने अपने गवाह के परीक्षण से इनकार करते हुए अगली सुनवाई पर 10 मई को चार और 17 मई को सात गवाह पेश करने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि चौहान की ओर से अदालत में गवाह को बदलने का आवेदन किया गया है। गवाह संख्या 46 सुरेंद्र सिंह के स्थान पर सुरेश आचार्य गवाही देंगे। उन्होंने बताया कि अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी, अरुण भंसाली तथा हेमंत दत्त पेश हुए। उन्होंने अदालत में अप्रार्थी पक्ष की ओर से गवाहों को पेश नहीं किए जाने पर विरोध जताया।